महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

शनिवार दिनांक 25.06.2022 को पूर्वाहन 11:30 बजे महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के शिविर कार्यालय (डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़) के सभागार में आयोजित की गई कार्य परिषद 01 वीं/2022 बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितः–

1. प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा, कुलपति, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़, **(अध्यक्ष)**
2. श्री. श्रीचन्द शर्मा, एम0एल0सी0 मेरठ–सहारनपुर शिक्षक सीट, उ0प्र0 विधान परिषद **(सदस्य)**
3. डॉ0 ज्ञान प्रकाश वर्मा, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी मण्डल, वाराणसी, **(सदस्य)**
4. डॉ0 प्रेमचन्द यादव, प्राचार्य, डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ **(सदस्य)**
5. डॉ0 शर्वेश पाण्डेय, प्राचार्य, डी0सी0एस0के0 मऊ **(सदस्य)**
6. डॉ0 यादवेन्द्र कुमार आर्य, प्राचार्य, राजकीय महिला पी0जी0 कालेज अम्बारी, आजमगढ़ **(सदस्य)**
7. डॉ0 नागेन्द्र द्विवेदी, प्राचार्य, श्री. दुर्गा जी पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़ **(सदस्य)**
8. श्री. वीरेन्द्र प्रसाद कौशल, कुलसचिव महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ **(सचिव)**

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के संस्थापक कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद श्री वीरेन्द्र प्रसाद कौशल एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित नवस्थापित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् समस्त सम्मानीय सदस्यगणों श्री. श्रीचन्द शर्मा, डॉ0 ज्ञान प्रकाश वर्मा, डॉ0 सर्वेश पाण्डेय, डॉ0 नागेन्द्र द्विवेदी, डॉ0 यादवेन्द्र कुमार आर्य) का स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।

मद सं 01–महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को अवगत कराना। सूच्य है कि अधिसूचना संख्या 610/सत्तर–1–2021–16 (74)/टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के द्वारा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1 संख्या 1446/79 –वि–1–19–1(क)–3–19,5 अगस्त 2022 तथा असाधारण गजट उत्तर प्रदेश विधायी अनुभाग–1 संख्या 2/79–वि–1–22–2–क–2–2022, दिनांक 7 जनवरी 2022 के द्वारा विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ कर दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।

संकल्प– कार्य परिषद द्वारा संज्ञान लेकर अंकित किया गया। सूच्य है कि आज़मगढ़ राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का शिलान्यास दिनांक 13 नवम्बर 2021 को भारत सरकार के माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह, उ0प्र0 सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं उ0प्र0 सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डा0 दिनेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर देश, प्रदेश एवं आजमगढ़ मण्डल के गणमान्यजन एवं स्थानीय जन भारी संख्या में उपस्थित हुए।

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़
registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

मद सं 02–विश्वविद्यालय के लोगो तथा उस पर अंकित ध्येय एवं आदर्शवाक्य पर कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में, समस्त संकायाध्यक्षगण द्वारा गहन विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान कर दी गई। उल्लेखनीय है कि उक्त लोगोयुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.msdsu.ac.in) का दिनांक 09.06.2022 को मा0 कुलपति जी द्वारा शुभारम्भ किया जा चुका है। मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। संकायाध्यक्षों की संस्तुति संलग्न है।

संकल्प– कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया व लोगो सील की संरचना, ध्येय वाक्य एवं पुस्तक में लिखित आदर्श व्याक्यों की सराहना की गई। मा0 कुलपति जी ने लोगो में अंकित संरचना, (विश्व का नक्शा, उगता हुआ सूर्य, अन्न की बाली), ध्येय व्याक्य एवं पुस्तक के आदर्श व्यक्यों (वसुधैव, कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सत्यं शिवं सुन्दरम, क्रर्मण्येवाधिकारस्ते तथा तेजस्वीनावधीतमस्तु) की व्याख्या प्रस्तुत की और बताया कि लोगो शिक्षार्थी के साथ–साथ समाज, राष्ट्र एवं विश्व के समग्र आदर्श विकास का संदेश देता है।

मद सं 03–प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 11.06.2022 व दिनांक 24.06.2022 की कार्यवाही कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। उक्त बैठकों की कार्यवाही संलग्न है।

संकल्प– कार्य परिषद ने अवलोकनोपरान्त प्रवेश समिति की उक्त दोनों बैठकों के कार्यवृत्तों पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं 04–परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.06.2022 एवं 08.06.2022 की कार्यवाही कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। उक्त बैठकों की कार्यवाही संलग्न है।

संकल्प– कार्य परिषद ने अवलोकनोपरान्त परीक्षा समिति की उक्त दोनों बैठकों के कार्यवृत्तों पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं 05–नवस्थापित विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्य यथापरीक्षा, मूल्यांकन, प्रवेश, आदि का कार्यप्रगति पर है तथा निरन्तर कार्य की अधिकता बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों/अधिकारियों की अत्यंतकमी, मूल विश्वविद्यालय, जौनपुर, से कोई कर्मचारी प्राप्त न होने, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभी तक कर्मचारियों का कोई पद सृजित न होने के दृष्टिगत उपरोक्त महत्वपूर्व एवं अपरिहार्य कार्यों हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा गैर शैक्षणिक स्टाफ के पद सृजन हेतु पत्रांक अपने 47/पी0ए0/2022 दिनांक 21–02–2022, के द्वारा प्रस्ताव उच्च विभाग, उ0प्र0 शासन को भेजा जा चुका है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र 68/पी0ए0/2022 दिनांक 09–03–2022 एवं पत्रांक 125/पी0ए0/2022 दिनांक 11–04–2022 शासन को प्रेषित किये गये है। परन्तु इस सम्बन्ध में शासन से कोई सूचना अद्यतन अप्राप्त है। यह सूच्य भी है कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की व्यवस्था/नियुक्ति हेतु शासन के पत्र संख्या 23/सत्तर–4–2022 दिनांक 06.01.

2022, में यह निर्देश दिए गए हैं 'कि जब तक आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, अजामगढ़ के शिक्षणेत्तर श्रेणी के पद सृजित/उन पर नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक मूल विश्वविद्यालय (वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर) अथवा विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में आने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों से ऐसे कार्मिक जो नवस्थापित विश्वविद्यालय में कार्य करने के इच्छुक हो को चिन्हित कर नवस्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर कार्य कराये जाये। ऐसे कार्मिक मूल विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के ही कार्मिक माने जायेंगे तथा सृजित पदों पर तैनाती के फलस्वरूप सम्बद्ध कर्मचारी अपने संस्थान वापस हो जायेंगे'। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 31/2020/273/18–2–2020–97 लखनऊ/2016 टी0सी0, दिनांक 25 अगस्त 2020 के अन्तर्गत GEM पोर्टल से कर्मचारियों को रखने का प्राविधान है।

संकल्प– कार्यपरिषद ने नवस्थापित विश्वविद्यालय (महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़) में विद्यमान उपरोक्त परिस्तिथियों का गहन संज्ञान लिया और समुचित विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण, अपरिहार्य एवं समय–सीमित कार्यों जैसे परीक्षा, मूल्यांकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कार्यान्वयन, प्रवेश, आदि जेम पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 15 तक कुशल कर्मी तथा 10 अधिकतम अकुशल श्रमिकों की शासन द्वारा निर्धारित दरों पर तात्कालिक व्यवस्था करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान विश्वविद्यालय अपने श्रोतों से वहन करेगा और इनकी सेवाएं संतोषजनक रहने पर तथा शासन द्वारा स्वीकृत सृजित पदों पर नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी व उक्त सेवा के आधार पर इन श्रमिकों का विश्वविद्यालय में सृजित पदों पर समायोजन/नियुक्ति का कोई अधिकार व अधिभार नहीं होगा। कार्य परिषद के उक्त संकल्प से शासन को भी अवगत करा दिया जाए।

मद सं 06– मूल विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की वार्षिक परीक्षा फार्मों से प्राप्त परीक्षा शुल्क रुपये 3 करोड़ 33 लाख 21 हज़ार की धनराशि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गयी है। यद्यपि इस सम्बन्ध में उक्त धनराशि का मदवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ परिक्षेत्र के आजमगढ़ व मऊ जिलों के सत्र 2021–22 के छात्रों का परीक्षा शुल्क (कुल धनराशि रु0 11 करोड़ लगभग) वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा प्राप्त किया गया था। क्योंकि सत्र 2021–22 से महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ प्रारम्भ हुआ है, यह परीक्षा शुल्क की धनराशि विश्वविद्यालय की है। इसलिए इस सम्बन्ध में पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को उक्त सत्र के दोनों जिलों के छात्रों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पर हुए अपने खर्चे को काटकर शेष धनराशि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प– कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर पर जिन–जिन मदों में जो भी धनराशि देय बनती है, उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। रूपये 3,33,21000/– की धनराशि प्राप्त करने हेतु माननीय कुलपति जी एवं कुलसचिव जी की सराहना की गई।

मद सं 07– श्री. जय प्रकाश मिश्र कार्यवाहक प्राचार्य गाँधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़ को मेमो/प्रबंध/2022, दिनांक 10.03.2022 को महाविद्यालय द्वारा निलम्बित कर दिया गया था। परन्तु उक्त प्रकरण में महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 35(2) तथा परिनियम 16.04 एवं परिनियम 16.06 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। फलस्वरूप मा0 कुलपति जी द्वारा प्रकरण में एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात परीक्षण कर श्री जय प्रकाश मिश्र के निलम्बन आदेश को निरस्त कर दिया था। आदेश संलग्न है। सूच्य है कि महाविद्यालय द्वारा प्रकारण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसमे सम्बंधित पक्षकारों से प्रति शपथपत्र मांगे गये है और जिस पर सुनवाई हेतु 28–07–2022 की तिथि निर्धारित की गई है। अतः मा0 उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के पक्ष को प्रस्तुत करने हेतु किसी योग्य अधिवक्ता को रखने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प– कार्य परिषद ने उपरोक्त प्रकरण में आवश्यकता पड़ने पर प्रकरण की पैरवी हेतु सर्वसम्मति से किसी योग्य अधिवक्ता को रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। भविष्य में न्यायालयों में याचित विश्वविद्यालय से सम्बंधित प्रकरणों की पैरवी हेतु स्टैंडिंग काउन्सिल रखने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया तथा किसी योग्य अधिवक्ता की व्यवस्था किये जाने हेतु सर्वसम्मति से मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया। अधिवक्ता की फीस/न्यायालय के अन्य सम्बंधित व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बजट से किया जाए।

मद सं 08– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की अंतरिम कार्य परिषद, अंतरिम विद्या परिषद, एवं संकायाध्यक्ष (शासन का कार्यालय ज्ञाप संख्या 1542/सत्तर–1–16(74)/2018 टी0सी0 II लखनऊ, दिनांक 10 मई, 2022) तथा अंतरिम परीक्षा समिति अंतरिम प्रवेश समिति, एवं अंतरिम वित्तसमिति (शासन का कार्यालय ज्ञाप संख्या 623/सत्तर–1–2022–16(74)/2018 टी0सी0 II लखनऊ, दिनांक 18 फरवरी 2022) का गठन/नियुक्ति की जा चुकी है, अंकन हेतु सूचनार्थ।

संकल्प– कार्य परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित/नियुक्त विश्वविद्यालय के उपरोक्त प्राधिकारियों के गठन/नियुक्ति से अवगत हुई।

मद सं 09– सत्र 2021–22 की मुख्य परीक्षा के ऑन लाइन परीक्षा फार्म भरने, एडमिट कार्ड जारी करने एवं परीक्षा संबंधी रिकॉर्ड जेनरेट करने, तत्पश्चात मूल्यांकन एवं परिणाम घोषित करने के कार्यों तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट निर्माण हेतु कंपनी को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। यह कार्यादेश संगत शासनादेश 25/क/78–2–2011–11 आई.टी./2001, दिनांक 17 फरवरी, 2011 के अनुसार

उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यूपी डेस्को, लखनऊ द्वारा ई–टेंडर प्रक्रिया से चयनित फर्म मैस्कॉट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए हैं। सूचनार्थ प्रस्तुत।

संकल्प– कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त कार्यादेशों का समुचित संज्ञान लिया गया व सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं 10–वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दो बार में दस–दस लाख रुपए (कुल 20लाख) का अनुदान गैर वेतन मद में उपलब्ध कराया गया था। जिसे माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोंपरान्त विश्वविद्यालय के संचालन हेतु तात्कालिक रूप से मूलभूत आवश्यक सामग्री/सेवाओं/सुविधाओं की खरीदारी में उपभोग किया गया है। अवगत कराना है कि वर्तमान में शासनादेश संख्या–24/2020/279/18–2–2020–97 (ल0उ0) /2016, दिनांक 19 जून 2020 के अनुसार सभी खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से अथवा शासनादेश संख्या 25/क/78–2–2011–11 आई.टी./2001,दिनांक 17 फरवरी 2011 के अनुसार ई–टेंडरिंग के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। परंतु तत्समय नवस्थापित विश्वविद्यालय की वेबसाइट न होने, जेम पोर्टल पर पंजीकरण न होने, एवं विश्वविद्यालय का संचालन तत्काल प्रारंभ करने के दृष्टिगत उपरोक्त शासनादेशों में प्रस्तावित व्यवस्था को अपनाया जाना संभव नहीं था। अतः उपरोक्त खरीदारी पूर्व संगत शासनादेश संख्या–ए–864/दस–08–15(1)86, दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार की गई। इस संबंध में कुलपति जी द्वारा सशर्त अनुमोदित प्रस्ताव की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। कार्येत्तर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। सूच्य है कि अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट बन चुकी है तथा जेम (GEM) पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। तत्क्रम में अब खरीददारी/खर्चे वर्तमान में लागू शासकीय व्यवस्था के अनुसार किये जा रहे हैं।

संकल्प– कार्य परिषद द्वारा विषय का समुचित संज्ञान लिया गया तथा उपरोक्त परिस्तिथियों में मा0 कुलपति जी द्वारा लिए गए निर्णय पर सहमति व्यक्त व सर्वसम्मति से कार्येत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं 11–माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को संपन्न हुई समस्त संकाय अध्यक्षों की समिति की बैठक में एन.ई.पी.–2020 के अनुसार निर्धारित समस्त 11 संकाय एवं उनसे संबंधित विषयों/पाठ्यक्रमों को संचालित करने/खोले जाने तथा उक्तानुसार समस्त संकायों के विभिन्न विषयों में शिक्षकों (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर) के पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने पर संस्तुति प्रदान की गई है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है। विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प– कार्य परिषद ने एन.ई.पी.–2020 के अनुरूप समस्त 11 संकायों एवं उनके अन्तर्गत सम्बंधित विषयों/पाठ्यक्रमों/शैक्षणिक विभागों को विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित एवं संचालित करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा शैक्षणिक विभागों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक शैक्षणिक एवं

गैर–शैक्षणिक स्टाफ के पदों का सृजन कराये जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति को अधिकृत किया गया।

बैठक के अंत में कार्य परिषद ने माननीय कुलपति जी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01 जनवरी 2022 से दिनांक 25.06.2022 तक किये गये कार्यों की ध्वनि मत से सराहना की एवं उनके कुशल नेतृत्व में नवस्थापित विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास की प्रबल आशा व्यक्त की।

मा0 कुलपति जी एवं कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक का समापन किया गया।

(वी.पी. कौशल)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद

(प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद